

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

ःकार्यालय जायः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय अथवा इच्छित, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशीय तर्कीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को पीपेड कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता कृष्टि सहित अन्य मंडों पर विचार कराते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्तित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाँव एवं नाम : 4496-DR. VIJAY INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY, BHANDHA KLA, KAITHI, NH-29, VARANA SI- 221116

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1990, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अधिसूचों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक हीन प्रथम इली० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय प्रारंभिक पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय प्रारंभिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500,00/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रत्येक छात्र/छात्रा के प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं में शूलक के संबन्ध में समस्त-समय पर वास्तव द्वारा निर्मित किये जाने वाले वास्तविक प्रभावों होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा पार्ये सत्र 2021-22 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जीस की नवीनताय दो लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को संबद्ध किया जाता) विनियमावली-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के लिए वह जाने की शक्ति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट आसनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एउआईएमटी/ईईटी/पीएमसी/आईईटी में अगामी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/आसनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक प्राविधिक शिक्षा, उद्योग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अर्थव्यवस्था, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्मिकी पत्रपरिचय की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संदेश में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद बालर किया जाता है तथा वापर सब के संबंध में ना न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्मिकी पत्रपरिचय सहायित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रथम इमे के पूर्व पीएमसी/आईईटी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आयोजन को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट न्यूनतम आधारभूत नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, माउ-माउ, उपकरण, मास किया जाने वाला सूक्त, उद्योगसूक्त आदि का डिजिटल स्थापक कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक रीढ़ने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आसना सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/स्थापित पत्रपरिचय को उठाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सदस्य उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्मिक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पत्रपरिचय के सहायन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, परीक्षाघारा, उपकरण एवं अन्य माउ-माउ एउआईएमटी/ईईटी/पीएमसी/आईईटी/परिषद के मानकांशुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने आसना शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शक्ति में विनियमानुसार अनुमाननात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार लोनकर)

सचिव

दूरसं०- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक DR. VJAY INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY, BHANDHA KLA,

KAITHI, NH-29, VARANASI-221115


(सुनील कुमार जाँसवाल)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2023/120900001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

ःकार्यालय जायः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मिकी कार्यान्वित और इडिआ, नई दिल्ली द्वारा वीकल सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघातिष्ठ डिप्लोमा अनीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कामयाब दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 03-09-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यान्वित और इडिआ, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रस्तुत अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित स्तरों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश अमठी हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4494-DR. VIJAY INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०, वी०सी०आई०ए० द्वारा	परिषद द्वारा सत्र 2023-
		सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	80	80
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश सरकार के एन संख्या 213/15-2099/9-2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2022 द्वारा पूर्व से संघातिष्ठ समस्त संस्थानों को जी०ई० के विस्तृत अनीय पाठ्यक्रम में अखिल रिट प्राविधिक संस्था 8027-2023 में अनीय पाठ्यक्रम के अन्तिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता स्तिष्ठ की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यान्वित और इडिआ, नई दिल्ली द्वारा सिपवित्त को गरीब सभी स्तरों का पूर्णतः प्रत्यक्ष करती।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कार्यान्वित और इडिआ, नई दिल्ली के मानक के अनुक्रम संस्थान में समस्त पाठ्यक्रम (थ्युरी, प्रथम, तृतीय वर्ष) अति उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2000, विनियमवली-2018 तथा समस्त-समस्त एन रिट प्राविधिक संस्था का अनुमोदन करती तथा गुणक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित गुणक की उपरान्त आशु प्रमाण से प्राप्त किया जायगा। उपरोक्त के अधीनस्थ प्रमाण/प्रमाण में गुणक के सम्बन्ध में समस्त-समस्त एन रिट प्राविधिक संस्था निर्णय किये जाने तक संस्थानों को प्रकटी करी, और तदुपरान्त कार्यान्वित किया जाना आवश्यक होगा। अन्तिम निर्णय समिति द्वारा वीकल सत्र 2023-24 हेतु जी०ई० का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो जी०ई० की नवीनतम एने करण होगी।

- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्य को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था की समस्त-समस्त छात्र लिखित परीक्षाएं एवं सम्बद्धता पुस्तक जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विधि विधान अधिनियमों/संशोधनों/विधियों एवं विदेशक प्राथमिक शिक्षा 2009 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2023 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2018 द्वारा कल्पित एवं विधान विधियों, अधिनियमों, विधियों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अधिकतम स्नातकोत्तर शिक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत एवं विधानों से अनुमोदित किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपसंबद्धित संस्था का होगा और विहित तथ्य से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था का उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा इसका संबंध के संबंध में या संस्थाएं द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंतरा निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को अपनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित/कार्य करने के लिए अधिकतम स्नातकोत्तर शिक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत एवं विधानों से अनुमोदित प्राप्त एवं प्राथमिक, स्नातकोत्तर को उपलब्ध करना होगा। अन्यथा प्रवेश को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समस्त छात्र लिखित परीक्षाएं आयोजित विधानों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक छवि, भूमि, स्टाफ, माध्यम-माध्यम, उपकरण, मातृ शिक्षा करने वाला सुख, छात्रावास सुख आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रतिष्ठा हेतु उपयुक्त साक्षात्कार उपलब्ध करने के साथ होगा। रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक प्रवृत्तियां सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था एक व्यक्ति को तो कि संस्था में प्रशासनिक/सांख्यिक उपकरण को प्रयोग करने हेतु नियुक्त/संयोजित के समस्त उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि, उपकरण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य उपकरण के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपकरण का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता प्रकृत विधि एवं की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (अभिव्यक्ति और उपसंबद्धित) संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना विधि/संशोधन 2020 के अधिनियम/संशोधन परिषद की साथ पर अपने अधिनियमों, अधिनियमों और परिषद को परिषद को परिषद के सम्बन्ध में लिखित परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिकतम स्नातकोत्तर परीक्षा के दौरान यदि संस्था में भूमि, उपकरण, उपकरण एवं अन्य साक्षात्कार एवं अधिनियमों/संशोधनों/विधियों/परिषद के सम्बन्ध/संशोधन उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध का ही जाएगी।
- ✓ संस्था द्वारा सर्वोच्च का अनुपालन न करने पर अंतरा सर्वोच्च का उपकरण विधि एवं की विधि में विधान/संशोधन/संशोधन/संशोधन की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्रा)

रचित

पुं०सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 13-09-2023

प्रतिष्ठान:-

प्रशासनिक विभाग, DR. VIJAY INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्रा)

रचित